



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: phdcell@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359100

क्र./1545 / अधिष्ठाता / शोध / 2022

दुर्ग, दिनांक 20 / 07 / 2022

// सूचना //

पी-एच. डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के अंतिम अवसर हेतु पात्र अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश

विश्वविद्यालय की सूचना क्र. 1543/अधिष्ठाता/शोध/2022, दुर्ग, दिनांक 20/07/2022 के अनुक्रम में पी-एच. डी. प्रवेश परीक्षा सत्र 2021 में उत्तीर्ण तथा पी-एच. डी. प्रवेश परीक्षा सत्र 2021 में यू. जी. सी. के नियमानुसार छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को सत्र 2022 की विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक में शामिल होने के अंतिम अवसर हेतु विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-45 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी अधिसूचना/नियमावली अनुसार शोध केन्द्र (Research Center) में प्रवेश के संबंध में दिशा – निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. यह अंतिम अवसर कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रदाय किया जा रहा है।
2. पी-एच.डी. हेतु पात्र समस्त अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक – 45 का अध्ययन अनिवार्य रूप से करें।
3. अभ्यर्थी संबंधित विषय में शोध निर्देशक (Supervisor) के रिक्त सीटों एवं शोध केन्द्रों (Research Center) की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 1535/अधिष्ठाता/शोध/2022, दुर्ग, दिनांक 19/07/2022 के द्वारा नवीन शोध निर्देशकों की सूची प्राप्त कर सकते हैं।
4. पात्र अभ्यर्थियों हेतु विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक एवं समस्त प्रक्रियाएँ दिनांक 25/07/2022 से 05/08/2022 के मध्य शोध केन्द्रों द्वारा अनिवार्यतः पूर्ण करायी जाएगी।
5. अभ्यर्थियों को उपर्युक्त निर्धारित तिथि अनुसार संबंधित विषय हेतु मान्य शोध केन्द्रों से सम्पर्क कर विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक तिथि की जानकारी प्राप्त कर उक्त तिथि अनुसार DRC में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे।
6. अभ्यर्थियों को DRC में उपस्थित होने हेतु निम्न दस्तावेजों/अंकसूचियों की 2 सेट छायाप्रति (Photocopy) सहित मूलप्रति कोटमतपपिबंजपवद के लिए शोध केन्द्र में ले जाना अनिवार्य होगा:
 - i. पी-एच.डी. ऑनलाईन आवेदन फार्म की छायाप्रति।
 - ii. पी-एच.डी. प्रवेश/पंजीयन फार्म।
 - iii. 10^{जी} एवं 12^{जी} की अंकसूची।
 - iv. स्नातक एवं स्नातकोत्तर की प्रत्येक वर्ष की अंकसूची।
 - v. पी-एच.डी. प्रवेश परीक्षा प्रमाण पत्र से छूट प्रमाण पत्र (नेट/सेट/अन्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा परिणाम सूची अनुसार)
 - vi. जाति प्रमाण पत्र (आवश्यकता अनुसार)
 - vii. निवास प्रमाण पत्र (आवश्यकता अनुसार)
 - viii. गेप सर्टिफिकेट (आवश्यकता अनुसार)
 - ix. आधार कार्ड

7. अभ्यर्थियों अनुमति प्रमाण पत्र (NOC)– (अशासकीय संस्था में कार्यरत हो/शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी नियमानुसार उच्च शिक्षा विभाग/अन्य संबंधित शासकीय विभाग द्वारा प्रदाय अनुमति प्रमाण पत्र) जमा करेंगे।
8. विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक में अभ्यर्थी द्वारा अधूरे/ अपूर्ण दस्तावेजों/ अंकसूचियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. पी-एच.डी. शोध कार्य हेतु अभ्यर्थी के ऐसे शोध निर्देशक (Supervisor) जो शोध केन्द्र में पदस्थ नहीं है, उस स्थिति में नियमानुसार अभ्यर्थी को शोध केन्द्र से एक सह-निर्देशक (Co-Supervisor) लेना अनिवार्य होगा।
10. अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पश्चात् चयनित शोध केन्द्र में दिनांक 16/08/2022 तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अंतिम तिथि के बाद शोध केन्द्रों में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
11. विभागीय शोध समिति (DRC) की अनुशंसा पश्चात् अभ्यर्थी को शोध केन्द्र में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्रता प्रमाण पत्र (Eligibility Certificate), छत्तीसगढ़ के राजकीय विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य (छ.ग. के निजी/राज्य के बाहर स्थित विश्वविद्यालय से अध्ययन कर के आए), को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. विभागीय शोध समिति (DRC) की अनुशंसा पश्चात् जिस अभ्यर्थी को पी-एच.डी. रजिस्ट्रेशन फार्म में शोध निर्देशक की हस्ताक्षरित सहमति प्राप्त होती है, वे अभ्यर्थी चयनित शोध केन्द्र में कंडिका 05 में उल्लेखित समस्त दस्तावेजों की 2 सेट छायाप्रति को जमा कर ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
13. अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक छः माही शोध शिक्षण शुल्क (प्रयोगशाला वाले विषयों के लिये 7500/- रु. और बिना प्रयोगशाला विषयों के लिये 5000/- रु.) का 50 – 50 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय एवं शोध केन्द्र में जमा करना होगा।
14. अभ्यर्थियों को पी-एच.डी. छः माही शिक्षण शुल्क की राशि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित यूको बैंक के खाता क्रमांक 18290110059791 में निर्धारित संलग्न चालान के माध्यम से जमा कर विश्वविद्यालय चालान कॉपी को एवं शोध केन्द्रों में जमा किये गये शुल्क रसीद की छायाप्रति को सहित पी-एच.डी. सेल में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
15. परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों को शोध केन्द्रों में प्रवेश प्राप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय से 10 दिवस के अंदर पी-एच.डी. हेतु नामांकन कराना अनिवार्य होगा (यदि अन्य विश्वविद्यालय से अध्ययन कर आये हो)।
16. कोराना संकट को देखते हुये समस्त शोध केन्द्र कोरोना से रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्तानुसार यह भी कि विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पश्चात् शोध केन्द्रों में प्रवेशित समस्त अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-45 और समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों हेतु जारी आदेश/निर्देश/नियमों एवं सूचनाओं का पालन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

पृ. क्र./1546/ अधिष्ठाता/शोध/2022
प्रतिलिपि:


कुलसचिव
दुर्ग, दिनांक 20/08/2022

01. प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलपति महोदय के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. वि.वि. वेबसाइट प्रभारी, हेमचंद यादव वि.वि. दुर्ग की वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


20/08/22
अधिष्ठाता छात्र कल्याण